कार्यालय जिला दण्डाधिकारी, जिला इन्दौर (म.प्र.)

क्रमांक/563/पीए /2020 इन्दौर, दिनांक 26/5/2020

//आदेश//

डॉ. माधव हसानी, चिकित्सा अधिकारी, इन्दौर को तत्काल प्रभाव से संयोगीतागंज झोन प्रभारी, पीसी सेठी चिकित्सालय के प्रभारी, लेप्रोसी अधिकारी, शिकायत शाखा प्रभारी, नर्सिंग होम प्रभारी, कायाकल्प प्रभारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय के समस्त दायित्वों से मुक्त किया जाता है। डॉ माधव हसानी को इन्दौर शहर के कोविड केअर सेंटर, क्वारेंटाईन सेंटर्स में नागरिकों/मरीजों के स्वास्थ्य संबंधी कार्य सौपा जाता है। डॉ. माधव हसानी, श्री संतोष टैगौर, अपर कलेक्टर, जिला इन्दौर के साथ रहकर कार्य संपादित करेंगे।

डॉ एम.पी.शर्मा, एनेस्थिटिस्ट वर्तमान पदस्थापना पी.सी. सेठी अस्पताल को तत्काल प्रभाव से संयोगीतागंज झोन प्रभारी, पी. सी. सेठी अस्पताल प्रभारी एवं मातृत्व एवं शिशु स्वास्थ्य का प्रभारी तथा डॉ माधव हसानी के पास आज दिनांक तक जो प्रभार है, उसके समस्त प्रभारी रहेंगे।

उक्त आदेश **National Disaster Management Act-** 2005 एवं **The Epidemic Disease Act,** 1897 तथा मध्यप्रदेश शासन, स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी नोटीफिकेशन No./PS/Health17/Medi-3/595, Bhopal, Date 23-03-2020 के माध्यम से प्रदत्त अधिकारों के तहत् जारी किया जा रहा है, जो सभी के लिए पालन करना बाध्यकारी होगा। आदेश का उल्लंघन होने पर भारतीय दण्ड विधान की धारा 187, 188, 269, 270, 271 एवं **डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट–2005** की सुसंगत धाराओं में अपराध पंजीबद्ध किया जाना सुनिश्चित किया जावे तथा यह भी कि उक्त आदेश का उल्लघंन **भारतीय दण्ड विधान की धारा 188** अंतर्गत दण्डनीय अपराध की श्रेणी में आवेगा।

(मनीष सिंह)
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी,
जिला इन्दौर.

Scanned with CamScanner

पृ०क्र० / 564 / पीए / 2020 इन्दौर, दिनांक 26/5/2020

प्रतिलिपि :–

1– आयुक्त, स्वास्थ्य सेवाएँ, म.प्र. भोपाल

2– आयुक्त, इन्दौर संभाग, इन्दौर

3– उप पुलिस महानिरीक्षक, इन्दौर

4– समस्त अतिरिक्त जिलादण्डाधिकारी / अपर कलेक्टर, इन्दौर(नियमित एवं संलग्न)

5– मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, जिला इन्दौर.

6– समस्त अनुविभागीय दण्डाधिकारी, इन्दौर(नियमित एवं संलग्न)

7– मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, इन्दौर–समस्त को अवगत करवाने हेतु ।

8– उप संचालक, जन संपर्क इन्दौर की ओर आदेश का प्रकाशन हेतु अग्रेषित।

9– प्रभारी अधिकारी, एन.आई.सी., कलेक्टोरेट, इन्दौर की ओर जिला प्रशासन की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।

10– संबंधित ....

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी,
जिला इन्दौर.

Scanned with CamScanner